प्रेस विज्ञप्ति

19.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीडीपीएल) और उससे जुड़ी संस्थाओं से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.12.2025 को 80.03 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में वाटिका ग्रुप, यूनिटेक ग्रुप और अन्य संस्थाओं की चल और अचल आस्तियाँ/संपत्तियाँ शामिल हैं, जिन्हें मेसर्स आरपीडीपीएल द्वारा परियोजना के लिए धन का उपयोग करने के बजाय घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को भेजा गया था।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि मेसर्स आरपीडीपीएल और इसके प्रमोटरों ने विभिन्न घर खरीदारों/प्लॉट खरीदारों को वादा किए गए फ्लैट और प्लॉट को वादा किए गए समय सीमा के भीतर वितरित करने में विफल रहने के माध्यम से धोखा दिया/ठगा है, यहां तक कि 10-14 वर्षों से अधिक का समय भी व्यतीत हो गया है।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स आरपीडीपीएल ने वर्ष 2008-2011 में सेक्टर 37डी, 92, 93 और 95, गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (भूखंड कॉलोनी प्रोजेक्ट) जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की और परियोजना शुरू होने के 3-4 वर्षों के भीतर फ्लैटों/ भूखंड भूमि के कब्जे का वादा किया गया था। ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स आरपीडीपीएल ने उक्त परियोजनाओं के लिए 2600 से अधिक घर खरीदारों से लगभग 1100 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। आगे की जांच में पता चला कि घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय ऋण, अग्रिम और भूमि लेनदेन के बहाने समूह कंपनियों और गैर-समूह कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।

इस मामले में इससे पहले, ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स आरपीडीपीएल के निदेशक और बहुसंख्यक शेयरधारक अरविंद वालिया और संदीप यादव को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 21.07.2025 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हैं।

इसके अलावा, ईडी ने तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था और 02 अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप मेसर्स आरपीडीपीएल, इसकी समूह कंपनियों और निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों की विभिन्न बैंक बैलेंस, चल संपत्ति, अचल संपत्ति की कुर्की/ निकासी पर रोक/ जब्ती हुई, जिसकी राशि लगभग 786 करोड़ रुपये थी। 80.03 करोड़ रुपये की वर्तमान कुर्की के साथ, मामले में कुर्की/ जब्ती की गई संपत्ति का कुल मूल्य अब लगभग 866 करोड़ रुपये है।

आगे की जाँच जारी है।